



राजस्थान सरकार

सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग

जी-३/१ अम्बेडकर भवन, राजगड़ल पैलेस के पास, जयपुर।

क्रमांक :- एफ.१(८)लोसूअ / सान्याअवि/ २४/ २१४७

जयपुर, दिनांक :- १५/३/२०२५

कार्यालय आदेश

सूचना के अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत विभाग को प्राप्त होने वाले आवेदन पत्रों की सूचना एवं प्रथम अपील निरस्तारण किये जाने के संबंध में विभाग द्वारा पूर्व में जारी किये गये समस्त आदेशों को निरस्त करते हुए अतिरिक्त निदेशक (एस.सी.एस.पी.) को विभाग का राज्य स्तरीय नोडल अधिकारी नियुक्त किया जाता है।

इस संबंध में अतिरिक्त निदेशक (एस.सी.एस.पी.) प्रथम अपील से संबंधित समस्त अभिलेखों का संघारण करेंगे एवं समस्त प्रथम अपीलें, प्रथम अपीलीय अधिकारी को प्रस्तुत कराने से संबंधित कार्यवाही करेंगे।

१५-३-२५
निदेशक एवं विशिष्ट शासन सचिव

क्रमांक :- एफ.१(८)लोसूअ / सान्याअवि/ २४/ २१४८ - ९५ जयपुर, दिनांक :- १५/३/२०२५

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निजी सचिव अतिरिक्त मुख्य सचिव, सान्याअवि, जयपुर।
2. निजी सचिव, निदेशक, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग, राज.जयपुर।
3. निजी सचिव अतिरिक्त निदेशक (सतर्कता एवं प्रशासन), सान्याअवि, जयपुर।
4. निजी सचिव अतिरिक्त निदेशक (एस.सी.एस.पी.), सान्याअवि, जयपुर।
5. निजी सचिव उप निदेशक (कार्यालय प्रशासन), सान्याअवि, जयपुर।
6. लोक सूचना अधिकारी सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता विभाग समस्त.....।
7. आदेश पत्रावली।

१५-३-२५
जिला परिवेश एवं समाज कल्याण अधिकारी